हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 के दादा स्व0 मांग्या पिता छोगा के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपने 6 पुत्रों को बंटवारा कर बराबर समला दिया था, जिस पर बंटवारे में प्राप्त भूमियों पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 ने अपने वृद्ध पिता व दादा मांग्या उर्फ मांगीलाल को दिनांक 06.12.2024 को उप–पंजीयक कार्यालय में लाकर अपने हिस्से 5/6 की भूमियों का पंजीयन अप्रार्थी संख्या 8 के नाम करवा दिया। अप्रार्थी संख्या 8 ने भूमियॉ उसके द्वारा क्रय कर लिए जाने से प्रार्थी को धमकी दी गई कि वह भूमियों का नामान्तकरण खुलवाकर प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल कर देगा। अतः विवादित भूमियों में निहित प्रार्थी के 1/6 हिस्से की भूमियों पर किसी प्रकार कब्जा करने का प्रयास नहीं करने, भूमि पर कोई निर्माण कार्य नहीं करने व प्रार्थी को बेदखल नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे। वकील प्रार्थी के उक्त तथ्यों का खण्डन करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित भूमियों के खातेदार स्व0 मांग्या उर्फ मांगीलाल द्वारा विवादित भूमि में से 5/6 हिस्सा भूमि को विक्रय पत्र से अप्रार्थी संख्या 8 के नाम पंजीयन करवा दिया है, जिस पर वह काबिज काश्त है शेष 1/6 भूमियों पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण का प्रार्थी की हिस्से की भूमियों से कोई लेना–देना नहीं है अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को कभी उसके हिस्से की भूमियों से बेदखल करने की धमकी नहीं दी है, बिना वाद कारण के प्रार्थना पत्र पेश करने से खारिज योग्य है। हमने वकील पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खाता संख्या 94 के खसरा नम्बरान 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 14 कुल रकबा 4.9532 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी	99 8/25

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

संख्या 1 लगायत 7 की खातेदारी में दर्ज है, जिसमें से खातेदार द्वारा दिनांक 06.12.2024 को विवादित भूमि में से 5/6 हिस्से का बेचान अप्रार्थी संख्या 8 के पक्ष में कर दिया गया है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 94 के खसरा नम्बरान 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 14 कुल रकबा 4.9532 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व दादा मांग्या उर्फ मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है, जिसका वर्तमान में नामान्तकरण प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज नहीं हुआ है। विवादित भूमि के खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल द्वारा 5/6 हिस्सा अपने शेष पुत्रों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व एक अन्य मृतक पुत्र रामदयाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की सहमति से अप्रार्थी संख्या 8 के नाम पंजीयन करवाया हुआ है। विवादित भूमियों में से शेष रहा 1/6 हिस्सा प्रार्थी का होने से प्रथम दृष्ट्या मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में बनता है।

<u>सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त</u> :– विवादित भूमि खाता संख्या 94 के खसरा नम्बरान 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 14 कुल रकबा 4.9532 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व दादा मांग्या उर्फ मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है, जिसका वर्तमान में नामान्तकरण प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज नहीं हुआ है। विवादित भूमि के खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल द्वारा 5/6 हिस्सा अपने शेष पुत्रों अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व एक अन्य मृतक पुत्र रामदयाल के वारिसान अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 की सहमति से अप्रार्थी संख्या 8 के नाम पंजीयन करवाया हुआ है। विवादित भूमियों में से शेष 1/6 हिस्सा प्रार्थी का होने से व पारिवारिक बंटवारे अनुसार प्रार्थी अपने 1/6 हिस्से की भूमियों पर काबिज काश्त होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त आंशिक रूप से प्रार्थी के हक में बन रहा है।

उपखण्ड अधिकारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खाता संख्या 94 के खसरा नम्बरान 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 14 कुल रकबा 4.9532 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में स्थित है, जो कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के पिता व दादा मांग्या उर्फ मांगीलाल की खातेदारी में दर्ज है, जिसका वर्तमान में नामान्तकरण प्रार्थी व अन्य वारिसान के नाम दर्ज नहीं हुआ है। विवादित भूमियों में प्रार्थी का 1/6 हिस्सा निहित होने से व पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने 1/6 हिस्से की भूमियों पर प्रार्थी को काश्त करने व अन्य उपयोग, उपभोग करने में अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी करने से प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई है।

उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला आंशिक रूप से प्रार्थी के पक्ष में होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी आंशिक रूप से प्रार्थी के हक में बनने एवं प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति की संभावना बनी हुई होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक स्वीकार किया जाकर दिनांक 10.01.2025 को जारी अन्तरिम स्थगन आदेश को अपास्त किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को ताफैसला वाद स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि विवादित भूमि खाता संख्या 94 के खसरा नम्बरान 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 82, 83 कुल किता 14 कुल रकबा 4.9532 हैक्टेयर वाके ग्राम ब्राहम्णों की झौपडिया पटवार मण्डल गोकुलपुरा में निहित प्रार्थी के 1/6 हिस्से की भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, प्रार्थी के कब्जे काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग में दखलदांजी नहीं करें व अप्रार्थी संख्या 9 को ताफैसला वाद पाबंद किया जाता है कि वह विवादित भूमियों में पंजीयन उपरान्त शेष रहे 1/6 हिस्से के खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल का फौती नामान्तकरण अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के नाम दर्ज नहीं करें। विवादित भूमियों में से खातेदार मांग्या उर्फ मांगीलाल द्वारा दिनांक 06.12.2024 को अप्रार्थी संख्या 8 विमला देवी के नाम किए गए पंजीयन को रिकॉर्ड में दर्ज करने बाबत कोई स्थगन आदेश नही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली